[2010] 2 एस.सी.आर 1053

मेसर्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड और अन्य

बनाम

मेसर्स सुपर हाईवे सेवाएं और अन्य

(2009 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 104)

19 फरवरी, 2010

[अल्तमस कबीर और सिरिएक जोसेफ, न्यायमूर्तिगण]

अनुबंध – पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री/आपूर्ति के लिए डीलरशिप समझौता – समाप्ति, याचिकाकर्ता निगम द्वारा – एक नमूना प्रयोगशाला परीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर – वैधता – अभिनिर्धारित: अवैध – याचिकाकर्ता ने संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया क्योंकि उत्तरदाता–डीलर को इस प्रकार के परीक्षण के संबंध में उचित नोटिस नहीं दिया गया – परीक्षण उत्तरदाता की जानकारी के बिना किया गया – इससे उसे गंभीर हानि हुई – इस प्रकार, डीलरशिप समझौते का समाप्ति अभिनिर्धारित मनमाना, अवैध और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में था – नैसर्गिक न्याय।

भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 136 – नया दावा – डीलरशिप समझौते का समाप्ति – डीलर द्वारा रिट याचिका – उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई – आदेश को याचिकाकर्ता—निगम द्वारा चुनौती दी गई – यह दावा कि डीलरशिप समझौते के एक विशेष प्रावधान के अनुसार, डीलर को रिट न्यायालय (उच्च न्यायालय) के समक्ष राहत मांगने से रोका गया था – योग्यता पर – अभिनिर्धारित: योग्यता नहीं है – याचिकाकर्ता को यह दावा उच्च न्यायालय के समक्ष उठाना चाहिए था – किसी भी स्थिति में, उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देकर, याचिकाकर्ता ने भी बिना आपत्ति जताए रिट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया।

याचिकाकर्ता निगम ने उत्तरदाता संख्या 1 के साथ पेट्रोल, डीज़ल आदि की खुदरा बिक्री/आपूर्ति के लिए एक समझौता किया। दोनों पक्षों को यह स्वतंत्रता थी कि वे तीन

महीने का लिखित नोटिस देकर समझौते को समाप्त कर सकते हैं। इस समझौते में याचिकाकर्ता निगम को यह अधिकार भी दिया गया था कि वह समझौते की धारा 58 में उल्लिखित किसी भी घटना के घटित होने पर समझौते को पहले समाप्त कर सके।

उत्तरदाता संख्या 1 कंपनी के विक्रय केंद्र पर एक जांच की गई, जिसमें हाई स्पीड डीज़ल (एचएसडी) का एक नमूना मार्कर परीक्षण में असफल रहा, जिससे पता चला कि यह दूषित था। इसके पश्चात एचएसडी का नलिका परीक्षण किया गया। परीक्षण के परिणाम के आधार पर, उत्तरदाता संख्या 1 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें उसे यह बताने को कहा गया कि मार्कर परीक्षण में असफल होने के कारण उसका डीलरशिप समझौता रद्द क्यों न किया जाए।

उत्तरदाता संख्या 1 ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की, जिसमें मार्कर परीक्षण से उत्पन्न पूरे कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपयुक्त रिट जारी करने की प्रार्थना की गई। इस बीच, याचिकाकर्ता निगम ने उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में भेजे गए पत्र पर विचार करने के बाद, धारा 58(1) के अंतर्गत उत्तरदाता संख्या 1 का डीलरशिप समझौता समाप्त कर दिया।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को स्वीकार करते हुए यह माना कि पुनः परीक्षण उत्तरदाता संख्या 1 को उचित नोटिस दिए बिना किया गया था, अतः, विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार, इससे उत्तरदाता संख्या 1 को गंभीर हानि हुई और डीलरशिप समझौते को समाप्त करने का आदेश, इसलिए, स्थिर नहीं रखा जा सकता। इसी कारण वर्तमान विशेष अवकाश याचिका दायर की गई।

विशेष अवकाश याचिका को खारिज करते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारितः 1.1. वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियाँ यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि सेवा उत्तरदाता पर प्रभावी हो गई थी, जब इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। केवल उस हस्तलिखित नोटिस पर 'डी' द्वारा किए गए अंकन को

छोड़कर, अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाए कि नोटिस उत्तरदाता संख्या 1 को भेजा गया था और उसे अस्वीकार कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं प्रस्तुत किया कि उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से किए गए आरोप को खारिज किया जा सके, जिसमें कहा गया कि नोटिस जिसे उत्तरदाता संख्या 1 के प्रतिनिधि को सौंपा गया था, वह उस तरीके और रूप में नहीं था जैसा डीलर को नोटिस देने के लिए आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि इसे जल्दीबाजी में तैयार किया गया था ताकि यह संकेत दिया जा सके कि उत्तरदाता संख्या 1 पर सेवा का प्रयास किया गया। [कंडिका 16] [1067–ए–एफ]

1.2 किसी पक्ष के डीलरशिप समझौते को रद्द करना एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। ऐसे समझौते को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदम को न्यायसंगत ठहराने के लिए, संबंधित प्राधिकारी को निष्पक्ष रूप से कार्य करना होगा और इसके लिए बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करना आवश्यक है। डीलरशिप समझौते को समाप्त करने से पहले पीड़ित व्यक्ति को नोटिस न भेजना उस सुव्यवस्थित सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है कि किसी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की यह जिम्मेदारी थी कि वह यह सुनिश्चित करे कि उत्तरदाता संख्या 1 को सुनवाई का अवसर दिया गया या कम से कम उसकी ओर नोटिस भेजने का गंभीर प्रयास किया गया, इससे पहले कि उसका समझौता समाप्त किया जाए। [कंडिका 17] [1067–जी–एच; 1068–ए]

1.3. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की, यह मानते हुए कि प्रयोगशाला परीक्षण के नोटिस को उत्तरदाता संख्या 1 को नहीं भेजा गया था, जिससे उक्त उत्तरदाता को गंभीर हानि हुई क्योंकि उसके डीलरशिप समझौते को इस परीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर समाप्त कर दिया गया था। स्वीकार किए जाने योग्य रूप से, डीलरशिप समझौता इस आधार पर समाप्त किया गया कि याचिकाकर्ता निगम द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद उत्तरदाता द्वारा दूषित

पाया गया। इस तरह की दूषणता को प्रयोगशाला में टी.टी. रिटेंशन सैंपल का परीक्षण कर सिद्ध करने का प्रयास किया गया। निगम द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशानिर्देश यह सुनिश्चित करते हैं कि डीलर को परीक्षण के संबंध में पूर्व सूचना दी जाए ताकि वह या उसका प्रतिनिधि परीक्षण के समय उपस्थित रह सके। यह आवश्यक प्रावधान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों और डीलरशिप समझौते को समाप्त करने के मामले में निष्पक्षता की आवश्यकता के अनुरूप है और इसे केवल औपचारिकता नहीं बनाया जा सकता। नोटिस डीलर को पर्याप्त समय और अवसर देने के लिए समय पर भेजा जाना चाहिए ताकि वह परीक्षण के दौरान अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सके और डीलर को नोटिस की सेवा के लिए स्वीकार्य प्रमाण उपलब्ध हो। इस प्रावधान का कड़ाई से पालन आवश्यक है, क्योंकि यदि परीक्षण डीलर की जानकारी के बिना किया जाता है, तो उसमें हेरफेर की संभावना बनी रहती है। [कंडिका 18] [1068 – बी–एफ]

1.4. वर्तमान मामले में, उत्तरदाता पर नोटिस की सेवा सिद्ध करने या उत्तरदाता द्वारा नोटिस अस्वीकार करने का कोई स्वीकार्य प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 28.05.2008 का नोटिस, जिसे कथित रूप से उत्तरदाता द्वारा अस्वीकार किया गया, उसे या उसके प्रतिनिधि को 29.05.2008 को दोपहर 3 बजे होने वाले परीक्षण में उपस्थित होने की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय नहीं देता था। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कथित अस्वीकृति के संबंध में अंकन स्वयं दिनांक 29.05.2008 का है। अतः, उत्तरदाता के डीलरशिप समझौते की समाप्ति का अभिनिर्धारित मनमाना, अवैध और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन करने वाला था। [कंडिका 18] [1168–जी–एच; 1169–ए]

इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सेवा और अन्य (1991) 1 एससीसी 533; *श्रीमती संजना एम. विग बनाम हिन्दुस्तान पेट्रो कार्पोरेशन लिमिटेड* एआईआर 2005 एससी 3454 और *हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और अन्य* (2005) 6 एससीसी 499, संदर्भित।

2. हालाँकि, डीलरशिप समझौते की धारा 68 में मध्यस्थता का उल्लेख है, यह प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया गया था। अब याचिकाकर्ता निगम के लिए यह कहना बहुत देर हो गई है कि डीलरशिप समझौते की धारा 68 के तहत उत्तरदाता संख्या 1 को रिट न्यायालय के समक्ष राहत मांगने का अधिकार नहीं था। किसी भी स्थिति में, एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर करके, याचिकाकर्ता ने भी बिना आपत्ति जताए रिट न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार कर लिया। [कंडिका 19] [1069–बी–सी]

नज़ीर संदर्भः

(1991) 1 एससीसी 533	**संदर्भित किया गया है**	**कंडिका 8**
एआईआर 2005 एससी 3454	**संदर्भित किया गया है**	**कंडिका 9**
(2005) 6 एससीसी 499	**संदर्भित किया गया है**	**कंडिका 10**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार : 2009 की एसएलपी (दीवानी) संख्या 14

2008 के एलपीए सं. 890 में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार दिनांक 2.12.2008 के अभिनिर्धारित और आदेश से

याचिकाकर्ताओं के लिए यू. यू. ललित, संजय कपूर, राजीव कपूर, शुभ्रा कपूर, आरती सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए रमेश पी. भट्ट, रवि भूषण, मोहित कुमार शाह।

न्यायालय का अभिनिर्धारित इसके द्वारा दिया गया था

अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति 1. यह विशेष अवकाश याचिका इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या उत्तरदाता संख्या 1 की डीलरशिप, 30 अगस्त 2003 को पक्षों के बीच किए गए डीलरशिप समझौते की धारा 58 के अनुसार वैध रूप से समाप्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, यह भी विचारणीय है कि क्या समझौते की समाप्ति खुदरा बाजार में मार्कर परीक्षण आयोजित करने की प्रक्रिया/दिशानिर्देशों के अनुरूप थी।

2. उपरोक्त समझौते के अनुसार, याचिकाकर्ता निगम ने उत्तरदाता संख्या 1 के साथ पेट्रोल, डीज़ल, मोटर ऑयल, ग्रीस और ऐसे अन्य उत्पादों की खुदरा बिक्री या आपूर्ति के लिए समझौता किया, जिन्हें सम्बंधित परिसर में, निगम समय–समय पर निर्दिष्ट कर सकता है। यह समझौता 30 अगस्त 2003 से प्रभावी होकर 15 वर्षों तक लागू रहेगा। हालाँकि, दोनों पक्षों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे किसी कारण का उल्लेख किए बिना तीन महीने का लिखित नोटिस देकर समझौते को समाप्त करने का निर्णय ले सकें, और ऐसे नोटिस की समाप्ति पर, समझौता रद्द और निष्क्रिय हो जाएगा, बिना किसी पक्ष के पूर्व अधिकारों पर कोई प्रभाव डाले, जो समझौते की समाप्ति से पहले उत्पन्न हुए किसी भी मामले या वस्तु से संबंधित हों। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस स्वतंत्रता से निगम के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि वह समझौते की धारा 58 में उल्लिखित किसी भी घटना के घटित होने पर समझौते को पहले समाप्त कर सके। समझौते की धारा 4 में यह प्रावधान था कि सामग्री के उपयोग के लिए दिए गए अनुज्ञप्ति और अनुमति समझौते की समाप्ति या इसके किसी भी शर्त के उल्लंघन पर तुरंत समाप्त हो जाएंगे। समझौते की धारा 58 का प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

> "58. इसके विपरीत कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद, निगम को यह स्वतंत्रता भी होगी कि वह इस समझौते को तुरंत या निम्नलिखित किसी भी घटना के घटित होने के बाद किसी भी समय समाप्त कर सके, अर्थात्:–
>
> (ए) यदि डीलर समझौते में शामिल किसी भी अनुबंध या शर्त का उल्लंघन करता है, और निगम द्वारा इस संबंध में भेजे गए लिखित नोटिस की प्राप्ति के चार दिनों के भीतर उस उल्लंघन को दूर करने में विफल रहता है।
>
> (बी) ....
>
> (सी) ....
>
> (डी) ....

(ई) ....

(एफ) ....

(जी) ....

(एच)

(आई) यदि डीलर निगम द्वारा आपूर्ति किए गए किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता को दूषित करता है या उसमें छेड़छाड़ करता है।

(जे) ....

(के) ....

(एल) ....

(एम) यदि डीलर स्वयं या अपने नौकरों या प्रतिनिधियों के माध्यम से कोई ऐसा कृत्य करता है या होने देता है, जो उस समय पटना में निगम के मुख्य वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक की राय में निगम या उसके उत्पादों के हित या अच्छे नाम के लिए हानिकारक हो, और इस अभिनिर्धारित में अंतिम अभिनिर्धारित अधिकार केवल मुख्य वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक का होगा, तो उन्हें इस अभिनिर्धारित के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं होगी।

3. 26 मई, 2008 को, उत्तरदाता संख्या 1 कंपनी के विक्रय केंद्र पर एक जांच की गई, जिसमें हाई स्पीड डीज़ल (एचएसडी) का एक नमूना मार्कर परीक्षण में असफल रहा, जिससे यह संकेत मिला कि यह दूषित था। उसी दिन, याचिकाकर्ता निगम के अधिकृत प्रतिनिधि, एसजीएस इंडिया प्रा. लि., ने मार्कर परीक्षण पर अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत की, जिसमें इस तरह की दूषितकरण दर्शाई गई। तदनुसार, उपरोक्त विपणन अनुशासनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, 27 मई, 2008 को याचिकाकर्ता निगम द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 के विक्रय केंद्र से सभी उत्पादों की बिक्री और आपूर्ति निलंबित कर दी गई, क्योंकि नमूना असफल रहा। याचिकाकर्ता निगम के अनुसार, अगले ही दिन, 28 मई, 2008 को, उत्तरदाता

संख्या 1 को नोटिस दिया गया कि 29 मई, 2008 को बरौनी टर्मिनल पर एचएसडी का नलिका परीक्षण किया जाएगा। याचिकाकर्ता निगम के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 1 के प्रतिनिधि ने नोटिस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि, याचिकाकर्ता निगम के क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक कथित रूप से उत्तरदाता संख्या 1 को 29 मई, 2008 को बरौनी टर्मिनल पर किए जाने वाले नलिका परीक्षण के बारे में टेलीफोन पर सूचित किया। नोटिस दिए जाने के बावजूद, जब बरौनी में तुलना परीक्षण किया गया, तब उत्तरदाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और यह परीक्षण 29 मई, 2008 को बरौनी टर्मिनल पर एसजीएस इंडिया प्रा. लि. के प्रतिनिधि, बरौनी टर्मिनल (याचिकाकर्ता के एजेंट) के प्रबंधक, परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि और याचिकाकर्ता के क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया। आगे परीक्षण के परिणाम के आधार पर, उत्तरदाता संख्या 1 को दिनांक 14 जुलाई, 2008 का नोटिस भेजा गया, जिसमें उससे यह कारण दर्शाने को कहा गया कि मार्कर परीक्षण में असफल होने के कारण उसका डीलरशिप समझौता क्यों न रद्द किया जाए। याचिकाकर्ता निगम के अनुसार, उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा 21 जुलाई, 2008 को भेजा गया उत्तर पूरी तरह अस्पष्ट था। इसके तुरंत बाद, उत्तरदाता संख्या 1 ने पटना उच्च न्यायालय में 2008 की सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11172 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसमें मार्कर परीक्षण से उत्पन्न पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उपयुक्त रिटों को जारी करने की प्रार्थना की गई। 9 सितंबर, 2008 को, याचिकाकर्ता निगम ने उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद, धारा 58(1) के अंतर्गत उत्तरदाता संख्या 1 का डीलरशिप समझौता समाप्त कर दिया।

4. 25 सितम्बर, 2008 को, याचिकाकर्ता निगम की ओर से उक्त रिट याचिका में एक प्रति-शपथपत्र दायर किया गया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि उत्तरदाता संख्या 1 ने 28 मई, 2008 की उस सूचना को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था, जिसके माध्यम से उसे

29 मई, 2008 को बरौनी टर्मिनल पर किए जाने वाले नलिका सैंपल तथा टी.टी. रिटेंशन सैंपल परीक्षण की जानकारी दी गई थी।

5. 15 अक्टूबर, 2008 को, विद्वान एकल न्यायाधीश ने उत्तरदाता संख्या 1 की रिट याचिका स्वीकार कर ली, अन्य बातों के साथ यह माना कि मात्र इस प्रकार का शपथपत्र का कथन कि उत्तरदाता संख्या 1 को सूचना देने का असफल प्रयास किया गया था, डीलरशिप अनुबंध जैसी गंभीर कार्रवाई को समाप्त करने के लिए अपर्याप्त है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि भले ही उत्तरदाता संख्या 1 ने पत्र प्राप्त करने से इंकार कर दिया हो, तब भी उक्त पत्र उसे पंजीकृत डाक से भेजा जा सकता था तथा परीक्षण को स्थगित किया जा सकता था, क्योंकि कोई ऐसी आकस्मिकता नहीं थी, विशेषकर जब उत्तरदाता संख्या 1 के पंप को किसी भी स्थिति में पहले ही सीलबंद कर दिया गया था। उक्त के अतिरिक्त, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि उत्तरदाता संख्या 1 के कथन के अनुसार उसे 29 मई, 2008 को बरौनी टर्मिनल में किए जाने वाले परीक्षण के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस तथ्य को भी महत्व दिया कि उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से यह दावा किया गया था कि जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसने संबंधित पत्र उत्तरदाता संख्या 1 को प्रदान किया था, वह 29 मई, 2008 को बरौनी में था ही नहीं, जबकि उसी तिथि को उत्तरदाता संख्या 1 के प्रतिनिधि द्वारा उस पत्र को अस्वीकार किया जाना बताया गया है। विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मत था कि चूंकि पुनः परीक्षण विपणन अनुशासन दिशानिर्देश के अनुसार उत्तरदाता संख्या 1 को उचित सूचना दिए बिना किया गया था, इसलिए इससे उत्तरदाता संख्या 1 को गंभीर हानि हुई और अतः दिनांक 9 सितंबर, 2008 के डीलरशिप अनुबंध की समाप्ति का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता।

6. याचिकाकर्ता निगम की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यू. यू. ललित ने कहा कि उत्तरदाता संख्या 1 के प्रतिनिधि और परिवहनकर्ता की उपस्थिति में स्थल पर नोजल परीक्षण

किया गया था और साथ ही, स्थल पर परीक्षण हेतु नमूने लिए गए थे तथा भविष्य में किए जाने वाले परीक्षण के लिए भी पक्षों की उपस्थिति में नमूने सुरक्षित किए गए थे। चूँकि उत्तरदाता संख्या 1 नलिका परीक्षण के दौरान मार्कर परीक्षण में असफल पाया गया, इसलिए पूर्व में लिए गए नमूनों को प्रति जांच हेतु बरौनी स्थित फोरेंसिक प्रयोगशाला भेजा गया। श्री लालित ने तर्क किया कि उत्तरदाता संख्या 1 तथा परिवहनकर्ता दोनों को विधिवत सूचना दी गई थी, परन्तु जहाँ परिवहनकर्ता का प्रतिनिधि उपस्थित था, वहीं उत्तरदाता संख्या 1 प्रयोगशाला में किए गए मार्कर परीक्षण के दौरान अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना। श्री ललित ने तर्क किया कि 14 जुलाई, 2008 को उत्तरदाता संख्या 1 को जारी कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि उत्तरदाता संख्या 1 के प्रतिनिधि ने 28 मई, 2008 की सूचना प्राप्त करने से इंकार कर दिया था, और ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता निगम के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि की उपस्थिति में बरौनी में मार्कर परीक्षण आगे बढ़ाए। श्री लालित ने यह भी तर्क किया कि जब उत्तरदाता संख्या 1 प्रयोगशाला में भी मार्कर परीक्षण में असफल हो गया, तो याचिकाकर्ता निगम के पास उत्तरदाता संख्या 1 के साथ समझौते को समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। श्री लालित ने इस तथ्य पर भी विशेष बल दिया कि सभी नमूने याचिकाकर्ता निगम के कर्मचारियों द्वारा नहीं, बल्कि उसके अधिकृत अभिकर्ता मेसर्स एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ही लिए/संग्रहित किए गए थे।

7. श्री ललित ने आगे यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता निगम और उत्तरदाता संख्या 1 के मध्य संपन्न समझौते के धारा 68 के आलोक में उच्च न्यायालय में उसकी रिट-क्षेत्राधिकार संबंधी कार्यवाही बाधित हो जाती है, क्योंकि उक्त धारा यह प्रावधान करता है कि किसी भी प्रकार के विवाद या मतभेद चाहे वह अधिकार, दायित्व, किसी कृत्य या उपेक्षा से संबंधित हो यदि समझौते से उत्पन्न हो या उससे संबंधित हो, तो उसे निगम के प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी के एकमात्र मध्यस्थता-

अभिनिर्धारितन के लिए संदर्भित किया जाएगा। श्री ललित ने तर्क किया कि मध्यस्थता प्रावधान का सहारा लिए बिना, उत्तरदाता संख्या 1 विधिक रूप से इस योग्य नहीं था कि वह अपने खुदरा विक्रय केंद्र के संचालन से संबंधित समझौते की समाप्ति के विरुद्ध रिट न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सके।

8. अपने तर्कों के समर्थन में, श्री लालित ने सर्वप्रथम इस न्यायालय के *इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड बनाम अमृतसर गैस सर्विस एवं अन्य [(1991) 1 एससीसी 533]* के निर्णय का संदर्भ दिया और उस पर अवलंबन किया, जिसमें मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के अंतर्गत दिए गए एक अभिनिर्धारित को चुनौती दी गई थी। यह अभिनिर्धारित दिया गया था कि भले ही इंडियन ऑयल निगम द्वारा एलपीजी की बिक्री से संबंधित समझौते की समाप्ति हेतु उपलब्ध प्रावधान का प्रयोग न किया गया हो, फिर भी समझौता खंड 8 के अंतर्गत किसी भी पक्ष द्वारा समाप्त किया जा सकता था और अतः, यह माना गया कि ऐसे मामले में दिया जाने वाला एकमात्र राहत नोटिस अवधि के दौरान होने वाली आय के नुकसान हेतु क्षतिपूर्ति हो सकती थी, न कि वितरण–प्राधिकार की पुनर्बहाली।

9. इस संदर्भ में इस न्यायालय के अभिनिर्धारित *श्रीमती संजना एम. विग बनाम हिंदुस्तान पेट्रो निगम लिमिटेड [एआईआर 2005 एससी 3454]* का भी उल्लेख किया गया, जिसमें यह न्यायालय एक पेट्रोल पंप डीलरशिप को समाप्त किए जाने के मामले से संबंधित था। उक्त मामले में, रिट याचिका पर उठाए गए आपत्तियों में से एक यह था कि उक्त क्षेत्राधिकार का गलत तरीके से उपयोग किया गया है, क्योंकि एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था और वितरण अभिकरण समाप्ति से उत्पन्न होने वाले प्रश्न, पक्षकारों के बीच अनुबंध से संबंधित गंभीर तथ्यात्मक विवादों को जन्म देते हैं, जिनमें सामान्यतः रिट न्यायालय हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि ऐसे परिस्थितियों में रिट याचिका उपयुक्त उपाय नहीं है और वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका पर विचार करने से इंकार किया जाना सही था,

और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इसी प्रकार के कई अन्य निर्णयों, जिनमें *अमृतसर गैस सर्विस का मामला* भी शामिल है, पर विचार करते हुए यह निर्णय दिया गया, इस बात को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए कि केवल तभी रिट याचिका पर विचार किया जा सकता है जब उसमें सार्वजनिक विधि से संबंधित प्रश्न शामिल हों।

10. श्री ललित ने, हालांकि, यह इंगित किया कि इस न्यायालय ने *हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड एवं अन्य [(2005) 6 एससीसी 499]* में एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया था, जिसमें यह प्रश्न विचारार्थ आया था कि जब एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, तब क्या उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप कर सकता है और यह कहा गया कि वैकल्पिक उपाय से सम्बंधित सिद्धांत मूलतः आत्म–आरोपित सीमा का नियम है। यह मूलतः नीति, सुविधा और विवेक का नियम है, कानून का नियम कदापि नहीं। यह भी कहा गया कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के बावजूद उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राहत देने का विवेकाधिकार मौजूद रहता है, यद्यपि यदि पर्याप्त और सक्षम वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हो, तो उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। श्री लालित ने यह भी इंगित किया कि, चूँकि *गुजरात अंबुजा सीमेंट* के मामले का अभिनिर्धारित तीन–सदस्यीय पीठ द्वारा दिया गया था, इसलिए *मेसर्स अंकुर फिलिंग स्टेशन बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड एवं एक अन्य,* एसएलपी(सी) संख्या 11193/2009 में, इस न्यायालय की दो–सदस्यीय पीठ का यह मत था कि ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय का *रिट यचिका* को ग्रहण करना और स्वयं ही आपूर्ति की पुनर्बहाली का निर्देश देना, यह अपने–आप में *रिट यचिका* स्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता, विशेषकर तब जबकि ऐसे मामले में उपाय के रूप में दीवानी वाद दायर करने का मार्ग भी उपलब्ध हो सकता है। इसलिए, इस न्यायालय द्वारा पूर्व में लिये गये दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, नोटिस निर्गत करते समय यह अनुभव किया गया कि विषय–वस्तु का विचार एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। फलस्वरूप, विशेष अनुमति

याचिका को माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उपयुक्त आदेशों के लिए प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। श्री ललित ने हमें अवगत कराया कि उक्त विशेष अनुमति याचिका अब भी लंबित है।

11. श्री ललित ने कहा कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा उपलब्ध वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने में विफलता को देखते हुए, रिट याचिका को प्रारंभिक चरण में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था।

12. श्री ललित की दलीलों का विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रमेश पी. भट्ट ने जोरदार विरोध किया, उन्होंने यह इंगित किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया दूषित हो गई थी, क्योंकि 25 दिसंबर 2008 की वह नोटिस, जिसे याचिकाकर्ता द्वारा उत्तरदाता सं. 1 को बरौनी टर्मिनल पर किए गए परीक्षण के संबंध में भेजा जाना बताया गया था, वास्तव में उत्तरदाता सं. 1 को कभी भेजा नहीं गया था, और इसलिए वह इस तथ्य से पूरी तरह अनभिज्ञ रहा कि ऐसा कोई परीक्षण किया जाना था। श्री भट्ट ने यह भी तर्क किया कि उत्तरदाता सं. 1 का यह स्पष्ट रुख था कि 26 मई 2008 को खुदरा विक्रय केंद्र पर कभी कोई मार्कर परीक्षण किया ही नहीं गया। विद्वान अधिवक्ता ने यह इंगित किया कि 30 मई 2008 के पत्र द्वारा उत्तरदाता सं. 1 ने याचिकाकर्ता के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक को यह सूचित किया कि 26 मई 2008 को एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधि खुदरा विक्रय केंद्र पर एमएस और एचएसडी, के वितरण इकाई की नलिका से नमूना लेकर मार्कर परीक्षण करने आया था, लेकिन ऐसा परीक्षण नहीं हो सका क्योंकि खुदरा विक्रय केंद्र पर एमएस और एचएसडी, दोनों ही पूरी तरह समाप्त थे, जिसके कारण वितरण इकाई की नलिका से उक्त उत्पादों का कोई नमूना लिया जाना असंभव था। इसी प्रकार, भूमिगत टैंक भी सूखे थे तथा टैंक संख्या 1 और 2 में मुश्किल से ही एमएस या एचएसडी, उपलब्ध था, जिससे नलिका के माध्यम से नमूना निकाला जा सके। श्री भट्ट ने उत्तरदाता सं. 1 की ओर से लिखे गए कई अन्य विरोध-पत्रों की ओर भी संकेत किया, जिनमें पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति समाप्त

करने के अभिनिर्धारित के विरुद्ध आपत्ति जताई गई थी और तत्काल आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध किया गया था।

13. श्री भट्ट ने इसके बाद 25 जून, 2008 को उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से कारण बताओ नोटिस के उत्तर का संदर्भ दिया, जिसमें उपरोक्त तथ्यों को पुनः दोहराया गया और यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि याचिकाकर्ता द्वारा बरौनी रिफाइनरी में किए जाने वाले प्रयोगशाला परीक्षण की सूचना उत्तरदाता को प्रस्तुत नहीं की गई थी। विशेष रूप से 28 मई, 2008 के कथित नोटिस का उल्लेख करते हुए, जिसमें उत्तरदाता संख्या 1 को सूचित किया गया था कि 29 मई, 2008 को बरौनी टर्मिनल में मार्कर टेस्ट आयोजित किया जाएगा, श्री भट्ट ने कहा कि उत्तरदाता संख्या 1 के कर्मचारी द्वारा इसे स्वीकार करने से कथित इंकार दिनांक 29 मई, 2008 का ही है और यह अत्यधिक संदिग्ध है कि यह नोटिस वास्तव में उत्तरदाता संख्या 1 को प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया था ताकि उसका प्रतिनिधि उसी दिन बरौनी में मार्कर टेस्ट में उपस्थित हो सके। यह भी बताया गया कि उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा ली गई जानकारी के अनुसार, श्री दिलीप कुमार दास, याचिकाकर्ता निगम के क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक, जिन्होंने कथित रूप से नोटिस उत्तरदाता संख्या 1 के प्रतिनिधि को सौंपा था, 29 मई, 2008 को बरौनी में उपस्थित ही नहीं थे।

14. विद्वान श्री भट्ट ने तर्क किया कि उत्तरदाता संख्या 1 को बरौनी टर्मिनल में प्रयोगशाला परीक्षण के आयोजन के संबंध में नोटिस प्रस्तुत नहीं करने के कारण, याचिकाकर्ता के समझौते को समाप्त करने की प्रक्रिया पूरी तरह प्रभावित हो गई थी और उक्त अभिनिर्धारित को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा सही ढंग से दरकिनार किया गया था, जिसे अपील में खंडपीठ द्वारा किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं किया गया।

15. विद्वान श्री भट्ट ने तर्क किया कि भले ही याचिकाकर्ता निगम की ओर से उत्तरदाता संख्या 1 के प्रतिनिधि द्वारा नोटिस स्वीकार करने से इंकार किए जाने के संबंध में मामला स्थापित करने का प्रयास किया जाए, तब भी उक्त नोटिस को पावती सहित पंजीकृत

डाक के माध्यम से भेजा जा सकता था और उक्त उद्देश्य के लिए मार्कर टेस्ट को कुछ समय के लिए स्थगित किया जा सकता था, क्योंकि टी/टी सैंपल या स्थल पर मौजूद नमूनों के दूषित होने का कोई तत्काल खतरा नहीं था। यह बताया गया कि इस मामले में नोटिस की तामील से संबंधित सामान्य मानदंडों का भी पालन नहीं किया गया और इस संबंध में एक अन्य खुदरा विक्रेता को जारी किए गए इसी प्रकार के नोटिस का संदर्भ दिया गया, जो उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से अतिरिक्त शपथ पत्र के अनुलग्नक ए-4 में दिया गया था। यह बताया गया कि दिनांक 23 दिसंबर, 2008 के उक्त पत्र में न केवल एक संदर्भ संख्या थी, बल्कि यह मुद्रित रूप में संबंधित डीलर को भेजा गया था, जबकि इस मामले में श्री डी.के. दास द्वारा उत्तरदाता संख्या 1 को कथित दिया गया नोटिस हस्तलिखित था। इसके अतिरिक्त, इसमें कोई संदर्भ संख्या नहीं थी और यद्यपि इसकी तिथि 28 मई, 2008 अंकित थी, इसे 29 मई, 2008 को सौंपने का दावा किया गया, वही दिन था जिस पर दोपहर 3:00 बजे बरौनी टर्मिनल में मार्कर टेस्ट आयोजित होना था। श्री भट्ट ने जोर देकर कहा कि उक्त नोटिस स्पष्ट रूप से उत्तरदाता संख्या 1 की डीलरशिप समाप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

16. संबंधित पक्षों की ओर से प्रस्तुत निवेदनों तथा विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा संदर्भित विभिन्न निर्णयों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हमारा मत है कि उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत किया गया पक्ष अधिक संभाव्य प्रतीत होता है। यद्यपि परिवाहक का प्रतिनिधि 29 मई, 2008 को निर्धारित समय पर टर्मिनल पर उपस्थित था, परन्तु मात्र इस आधार पर यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उत्तरदाता संख्या 1 को भी विधिवत प्रस्तुति दी गई थी, विशेषकर तब जब इस संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। श्री दश द्वारा दिए जाने का दावा किए गए हस्तलिखित नोटिस पर किए गए अनुमोदन को छोड़कर अभिलेख पर ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है जिससे यह संकेत भी मिले कि नोटिस उत्तरदाता संख्या 1 को भेजा गया था अथवा उसने उसके प्राप्त करने से इंकार किया था। यह स्वीकार

करना भी कठिन है कि 29 मई, 2008 को दोपहर 3:00 बजे आयोजित होने वाले परीक्षण के संबंध में उसी दिन उत्तरदाता संख्या 1 के प्रतिनिधि को नोटिस देने का प्रयास किया गया। यद्यपि नोटिस दिनांक 28 मई, 2008 का है, परन्तु उत्तरदाता संख्या 1 के प्रतिनिधि द्वारा किया गया कथित अनुमोदन 29 मई, 2008 का अंकित है और ऐसे में यह मानना न्यायोचित है कि उत्तरदाता संख्या 1 इतनी अल्प अवधि में अपने प्रतिनिधि की बरौनी टर्मिनल स्थित प्रयोगशाला में उपस्थिति सुनिश्चित नहीं कर सकता था। याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उत्तरदाता संख्या 1 की ओर से लगाए गए इस आरोप को असत्य सिद्ध किया जा सके कि जिस नोटिस को उसके प्रतिनिधि को सौंपे जाने का दावा किया जा रहा है, वह उस रूप एवं विधि में नहीं था जिसमें किसी डीलर को नोटिस दिया जाना अपेक्षित होता है। यह स्पष्ट है कि यह नोटिस जल्दबाज़ी में तैयार किया गया था ताकि यह दर्शाया जा सके कि उत्तरदाता संख्या 1 को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था।

17. पक्ष के डीलरशिप समझौते को रद्द करना एक गंभीर मामला है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इस तरह के समझौते को समाप्त करने के लिए की गई कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए, संबंधित प्राधिकारी को उक्त उद्देश्य के लिए बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों का निष्पक्ष और पूर्ण पालन करते हुए कार्य करना होगा। पीड़ित व्यक्ति को उसके डीलरशिप समझौते को समाप्त करने से पहले नोटिस न देना भी इस सुस्थापित सिद्धांत का उल्लंघन करता है कि किसी व्यक्ति को बिना सुने दंडित नहीं किया जा सकता। यह याचिकाकर्ता का दायित्व था कि वह सुनिश्चित करे कि उत्तरदाता संख्या 1 को सुनवाई का अवसर दिया जाए, अथवा कम से कम अनुबंध समाप्त करने से पहले उसे कार्यवाही की सूचना देने के लिए गंभीर प्रयास किए जाएँ।

18. उपस्थित मामले में, हम श्री भट्ट के इस तर्क से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय ने उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की, क्योंकि यह पाया गया कि बरौनी टर्मिनल पर किए जाने वाले प्रयोगशाला परीक्षण की सूचना

उत्तरदाता संख्या 1 को सेवार्पित नहीं की गई थी, जिसके कारण उक्त उत्तरदाता को गंभीर पूर्वाग्रह पहुँचा, क्योंकि उसके डीलरशिप अनुबंध को इसी परीक्षण के निष्कर्षों के आधार पर समाप्त कर दिया गया था। यह निर्विवाद है कि डीलरशिप अनुबंध इसलिए समाप्त किया गया कि याचिकाकर्ता निगम द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद उत्तरदाता द्वारा प्रदूषित पाया गया था। बरौनी टर्मिनल स्थित प्रयोगशाला में टी.टी. रिटेन्शन सैम्पल का परीक्षण करके सिद्ध करने का प्रयास किया गया था। निगम द्वारा लागू की जा रही दिशानिर्देशों में यह अपेक्षित है कि परीक्षण से पूर्व डीलर को पूर्व सूचना दी जाए, ताकि वह अथवा उसका प्रतिनिधि परीक्षण के समय उपस्थित रह सके। उक्त आवश्यकता नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों तथा डीलरशिप समझौते को समाप्त करने जैसे गम्भीर अभिनिर्धारित में न्यायसंगतता की अनिवार्यता के अनुरूप है, और इसे मात्र एक औपचारिकता बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। उक्त परिस्थितियों में, डीलर को पर्याप्त रूप से पूर्व में नोटिस दिया जाना चाहिए, ताकि उसे परीक्षण के दौरान अपनी या अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उचित समय और अवसर मिल सके। साथ ही, डीलर को नोटिस सर्व किए जाने संबंधी स्वीकृत योग्य साक्ष्य भी उपलब्ध होना चाहिए। उपर्युक्त आवश्यकता का कठोर अनुपालन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि परीक्षण डीलर की अनुपस्थिति में किया जाए तो उसके संचालन में हेरफेर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान मामले में, ऐसी कोई स्वीकृत योग्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो सके कि नोटिस वास्तव में उत्तरदाता को प्रस्तुत किया गया था या उत्तरदाता द्वारा उस नोटिस को स्वीकारने से इंकार किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 28.05.2008 की जो नोटिस कथित रूप से उत्तरदाता द्वारा अस्वीकृत की गई थी, उसमें भी उत्तरदाता को इतना पर्याप्त समय नहीं दिया गया था कि वह 29.05.2008 को दोपहर 3.00 बजे आयोजित किए जाने वाले परीक्षण के दौरान स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति की व्यवस्था कर सके। यह भी उल्लेखनीय है कि कथित अस्वीकृति

से संबंधित अभिलेख स्वयं दिनांक 29.05.2008 का है। अतः, उत्तरदाता के डीलरशिप अनुबंध का समापन मनमाना, अवैध तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

19. यद्यपि डीलरशिप अनुबंध के धारा 68 में मध्यस्थता का प्रावधान है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उक्त प्रश्न उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया ही नहीं गया। अब अत्यधिक विलंब हो चुका है, और याचिकाकर्ता निगम यह नहीं कह सकता कि डीलरशिप अनुबंध की धारा 68 के दृष्टिगत, उत्तरदाता संख्या 1 रिट न्यायालय के समक्ष अपना उपाय तलाश करने का अधिकारी नहीं था। किसी भी स्थिति में, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर, याचिकाकर्ता ने स्वयं बिना किसी आपत्ति के रिट न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लिया था।

20. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, जिसे तदनुसार, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज किया जाता है।

विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।

बी. बी.बी.

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।